DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
1-A, CANNING LANE, K.G MARG, NEW DELHI
(CHILD PROTECTION UNIT)

F.No. 61 (1151)/Vidhan Sabha Q-143/DD(CPU)/DWCD/2018 Dated:27/03/2018
55961-963

27 MAR 2018

To,

The Dy. Secretary (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha,
Old Secretariat, Delhi-110054

Subject: Regarding reply of Vidhan Sabha Starred Question No. 143 (raised by Shri Grish Soni).

Sir,

Please find enclosed 100 Copies of reply of Vidhan Sabha Starred Question No. 143 raised by Sh. Grish Soni, for further necessary action at your end. The reply has been approved by the competent authority.

Encl: As above

Dr. Nisha Agrawal
Dy. Director (CPU)

F.No. 61 (1151)/Vidhan Sabha Q-143/DD(CPU)/DWCD/2018 Dated:
55961-963 27 MAR 2018

Copy to:

1. The Secretary to Hon'ble Deputy CM/Minister WCD
2. The Director (DIP) with set of copies

Dr. Nisha Agrawal
Dy. Director (CPU)

महिला एंव बाल विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
1–ए, केनिंग लेन, के.जी. मार्ग नई दिल्ली
(बाल संरक्षण इकाई)

F.No. 61 (1151)/Vidhan Sabha Q-143/DD(CPU)/DWCD/2018 Dated:

विषयः– विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 143
प्रश्नकर्ता का नाम – श्री गिरिश सोनी
क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगें किः–

प्रश्न	उत्तर
(क) महिला एवं बाल कल्याण गृह, रिमण्ड होम्स और बाल कल्याण केन्द्रों की निरीक्षण की संख्या पिछले 10 वर्षों के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव और निदेशकों द्वारा की गई;	समय समय पर विभाग के सचिव और निदेशकों द्वारा बाल कल्याण गृह, रिमण्ड होम्स और बाल कल्याण केन्द्रों की निरीक्षण किया जाता रहा है, पिछले वर्षो का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, मगर विभाग के सचिव श्री डा. आशिष चन्द्र वर्मा द्वारा वर्ष 2017–18 में कुल 12 निरीक्षण व निदेशिका श्रीमती शिल्पा शिन्दे द्वारा 22 निरीक्षण किए गए है
(ख) इन निरीक्षणों के परिणामस्वरूप इन केन्द्रों में किए गए सुधार;	विभाग के सचिव और निदेशकों द्वारा बाल कल्याण गृह, रिमण्ड होम्स और बाल कल्याण केन्द्रों की निरीक्षण के आधार पर समय समय पर सुधार किए जाते हैं समय समय पर किये गये निरीक्षणों के आधार पर संस्थाओं मे आवश्यकतानुसार सुधार किये जाते है। बुनियादी ढाचांगत सुधार के लिए विभाग, लोक निर्माण विभाग से सिविल तथा इलेक्ट्रिक कार्यो के लिए अनुदान प्रदान करता है। बालिका गृहो मे सेनेट्री वेर्ल्डिग मशीन लगाई गई है, संस्थाओं में रह रहे बच्चों के स्वास्थ्य व स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सभी संस्थाओं मे बेहतर निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे व हाई स्पीड इन्टरनेट लगवाया गया है। संस्था मे कार्यकर कर्मचारियों को समय समय पर प्रक्षिशण प्रदान किया जाता है जिससे कि वो बच्चों के साथ बेहतर ढंग से कार्य कर सके। विभाग ने प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से एनएसडीसी भारत सरकार के साथ समन्वय किया है, ताकि

	सूचीबद्व एजेंसियों बाल देखभाल संस्थानों में रखे बच्चों के लिए प्रशिक्षण को व्यावसायिक सेवाएं मुहैया करा सकें। विभाग एनजीओ और कॉरपोरेट हाऊस के माध्यम से सार्वजनिक और निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करता है जो व्यावसायिक शिक्षा और अन्य मनोरंजन सुविधाएं प्रदान कर रहे है। बच्चों के पुर्नवास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संस्था मे पुर्नवास अधिकारी को मनोनीत किया गया है।
(ग) तिहाड जेल परिसर में स्थित निर्मल छाया में मानसिक रूप से मंद महिलाओं की संख्या; तथा	05
(घ) विभाग द्वारा उनकी स्थिति मे सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं	संस्था मे मानसिक रूप से मंद महिलाओं को व्यायसायिक प्रशिक्षण, परार्मश, चिकित्सय देखभाल प्रदान की जाती हैं

उपरोक्त उत्तर की स्वीकृति निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त है।

उपनिदेशक
(बाल संरक्षण इकाई)